मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

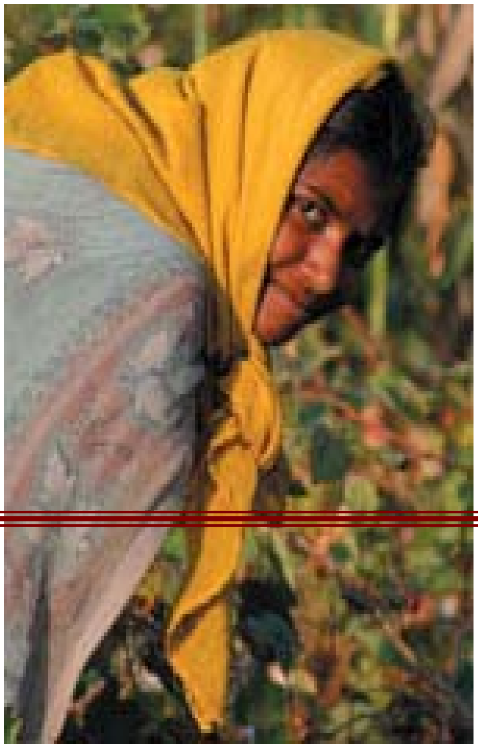

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2008–09

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2008—09

क्रमांकन

विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रशासनिक संरचना	1 से 2
पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण	3 से 30

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
	प्रशासनिक संरचना	1–2
	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	
1	**भाग – एक**	
	सामान्यः	3–5
क	संक्षिप्त जानकारी	
ख	विभागीय संरचना	
ग	अधीनस्थ कार्यालय	
घ	विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/ संस्थाओं का विवरण	
ड़	विभाग के दायित्व	
2	**भाग – दो**	
	बजट प्रावधान विहंगावलोकन वर्ष 2008–09	6–8
3	**भाग – तीन**	
	राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	9–28
क	राज्य योजनाएं	
ख	भारत सरकार की योजनाएं	
ग	अभिनव योजनाएं	
	योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां	
4	**भाग – चार**	29
	सामान्य प्रशासनिक विषय	
5	**भाग – पांच**	30
	प्रकाशन	
6	**भाग – छः**	30
	राज्य की महिला नीति	

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रभारी मंत्री	–	डॉ0 रामकृष्ण कुसमरिया
प्रमुख सचिव	–	श्री प्रवेश शर्मा
विभागाध्यक्ष	–	श्री जब्बार ढॉकवाला
उपसचिव	–	श्री एस.एन.सिंह चौहान
अवर सचिव	–	श्री एस0के0उपाध्याय
पीठासीन अधिकारी, म0प्र0वक्फ न्यायाधिकरण	–	श्री रघुबीर सिंह चूड़ावत
सचिव, म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	–	श्री राजेश प्रसाद मिश्र
सचिव, म0प्र0राज्य अल्पसंख्यक आयोग	–	श्री ओ0एफ0 खटट्‌ानी
प्रबंध संचालक, म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	–	श्री राजेश प्रसाद मिश्र
प्राचार्य / संचालक, राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	–	श्री एच0बी0सिंह

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
विभाग

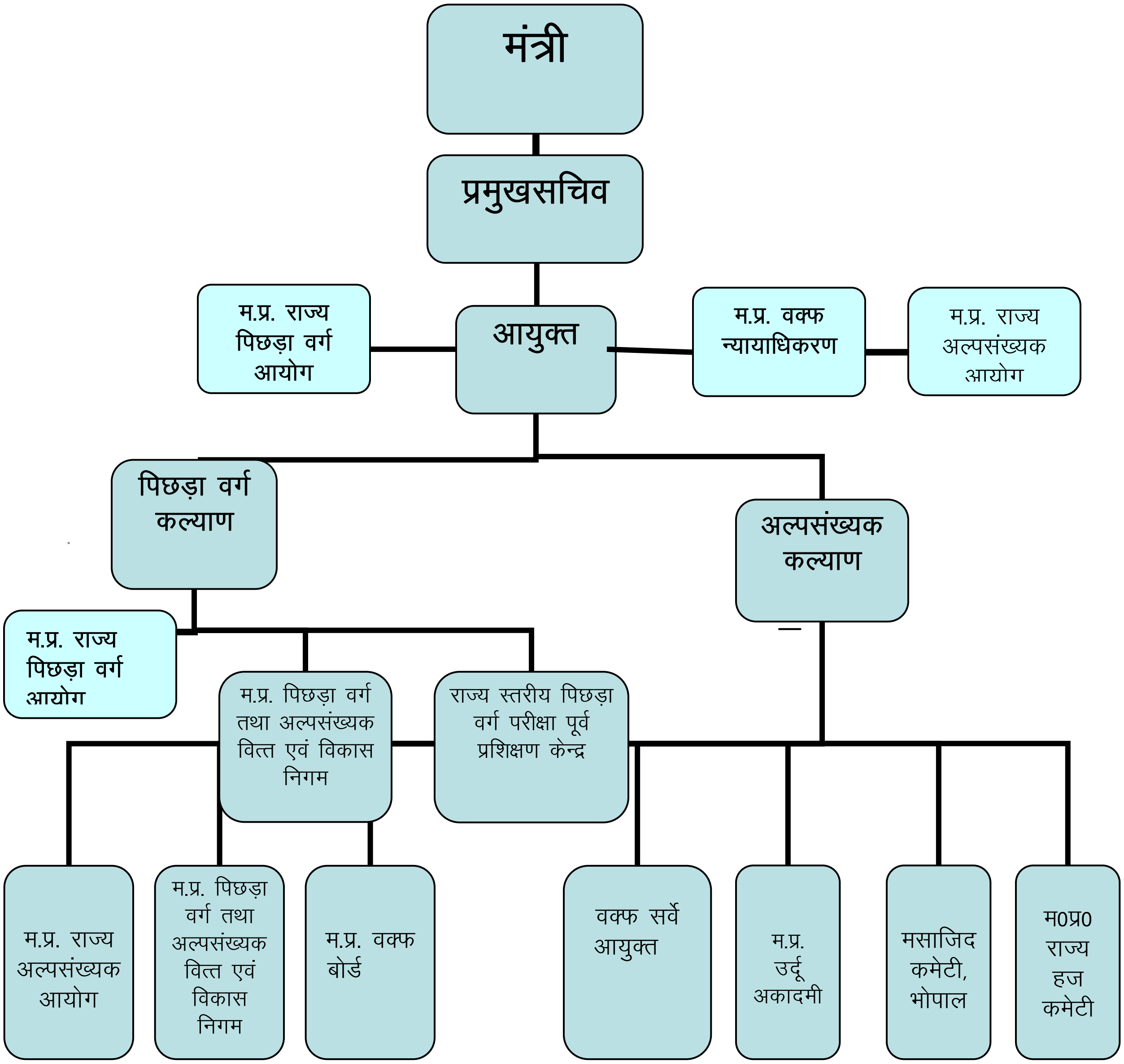

पिछड़ा वर्ग कल्याण एव अल्पसख्यक कल्याण

भाग –एक

सामान्य

1–पिछड़ा वर्ग कल्याण.

'क'– संक्षिप्त जानकारी :

महाजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सर्वप्रथम दिनांक 12.10.1982 को ''संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण'' की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से दिनांक 12 सितम्बर 1995 को राज्य शासन द्वारा पृथक से ''पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' गठित किया गया। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 91 जाति/उप जाति/वर्गसमूह, पिछड़ा वर्ग के रुप में घोषित हैं। प्रदेश की आबादी में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित आबादी लगभग 50.09 प्रतिशत है.

'ख'– विभागीय संरचना :

विभागीय संरचना में (1) आयुक्त सह–संचालक संचालनालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (2) पीठासीन अधिकारी,म0प्र0वक्फ न्यायाधिकरण, तथा (3) विभागीय आदेष कमांक एफ–6–29/54–1/2008, दिनांक सितम्बर 2009 द्वारा सचिव,मध्यप्रदेष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विभागाध्यक्ष घोषित हैं । संचालनालय में दो उप संचालक, दो सहायक संचालक, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी तथा एक लेखाधिकारी का पद स्वीकृत है. संचालनालय में 29 तृतीय श्रेणी के तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 16 पद भी स्वीकृत है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

श्रेणी	संवर्ग	पदनाम	कुल स्वीकृत पद
1.	प्रथम श्रेणी	संचालक/आयुक्त उप संचालक	1 2
2.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक लेखाधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी	2 1 1
3.	तृतीय श्रेणी	अधीक्षक शीघ्रलेखक कनिष्ठ लेखाधिकारी सहा.सांख्यिकीय अधिकारी सहा. जनसंपर्क अधिकारी	1 1 1 1 1

		सहायक लेखापाल निम्न श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक स्टेनो टाईपिस्ट वाहन चालक वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	3 2 10 3 1 4 1
4.	चतुर्थ श्रेणी	दफतरी भृत्य भृत्य (दैनिक वेतन भोगी)	1 13 2 ———————————— योगः— 52

ग'' अधीनस्थ कार्यालय :

जिला स्तर पर इस विभाग का पृथक से कोई जिला कार्यालय नहीं होने से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला स्तरीय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के कार्यालय के माध्यम से ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं. पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक कनिष्ठ लेखाधिकारी, एक सहायक ग्रेड–2, एक सहायक ग्रेड–3 तथा एक भृत्य का पद स्वीकृत है.

''घ'' विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :

विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं स्थापित हैं :–

1. मण्डल/उपक्रम. –म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम.

2. संस्थाएँ – (1) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
   (2) म.प्र.राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
   (3) म.प्र.वक्फ न्यायाधिकरण.
   (4) म.प्र.वक्फ बोर्ड.
   (5) म.प्र.उर्दू अकादमी.
   (6) म.प्र.मसाजिद कमेटी.
   (7) म.प्र.राज्य हज कमेटी.

''ङ'' विभाग के दायित्व (दिनांक 12–9–95 को अधिसूचित) :

(1). पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रम

(2). लोक सेवा, निगमों तथा विभिन्न आयोगों में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण

(3). शैक्षणिक संस्थाओं में तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण

(4). पिछड़े वर्गो को अन्य सुविधाएँ

(5). मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य

(6). मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य

(7). पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियां

2–अल्पसंख्यक कल्याण

1. संक्षिप्त जानकारी :

राज्य शासन ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पृथक से गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6–2–1995 द्वारा किया तत्पश्चात् उसी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12–9–1995 के द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया जा कर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया गया है.

2. जनसंख्या–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निम्न छः धार्मिक समुदायों को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में इन छः समुदायों की सांख्यिकीय स्थिति निम्नानुसार है :–

कुल जनसंख्या	समुदाय	जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिशत	साक्षरता दर
60348023	मुस्लिम	3841449	6.36	70.03
	ईसाई	170381	0.28	85.08
	सिख	150772	0.25	82.09
	बौद्ध	209322	0.35	74.04
	जैन	545446	0.90	96.02
	पारसी	नगण्य	–	–
	योग	**4917370**	**8.15**	–

भाग–दो

बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) 2008–2009

बजट मद	प्रावधान (रूपये लाख में)
1. पिछड़ा वर्ग कल्याण :	
(1) आयोजनेत्तर	2526.00
(2) आयोजना	19816.81
योग :	**22342.81**

क्रमांक	नाम योजना	बजट प्रावधान
1	2	3
(अ)	**आयोजनेत्तर :**	
(1)	निर्देशन और प्रषासन	142.71
(2)	जिला तथा परियोजना प्रषासन	257.43
(3)	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	1929.00
(4)	आश्रम / छात्रावास	6.80
(5)	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केंन्द्र भोपाल	29.19
(6)	मध्यप्रदेष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	119.37
(7)	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	6.00
(8)	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	18.00
(9)	परिचय पत्र का प्रदाय	17.50
	योग – आयोजनेत्तर	**2526.00**
(ब)	**आयोजना :**	
(1)	आश्रम / छात्रावास	158.11
(2)	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	4844.85
(3)	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	11199.50
	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	1000.00
(4)	पी.एम.टी. / पी.ई.टी. / पी.ए.टी. हेतु सेल्फ स्कोरर एवं व्याख्याताओं हेतु मानदेय	2.20
(5)	मध्यप्रदेष पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	50.00
(6)	विद्यार्थी कल्याण योजना	5.86
(7)	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	2.75

(8)	छात्रगृह योजना	68.80
(9)	छात्रावास भवनों का निर्माण **(राज्य का हिस्सा)** **(केन्द्र का हिस्सा)**	80.00 80.00
(10)	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा प्रोत्साहन	80.00
(11)	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवन निर्माण **(राज्य का हिस्सा)** **(केन्द्र का हिस्सा)**	 290.00 290.00
(12)	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	721.94
(13)	विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	75.00
(14)	रोजगार गारण्टी प्रशिक्षण	200.00
(15)	म0प्र0पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को ब्याज अनुदान (मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना)	667.00
(16)	प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति	0.10
(17)	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	0.10
(18)	छात्रवृत्ति फार्मो का मुद्रण	0.10
(19)	बालक छात्रावासों की स्थापना	0.10
(20)	पूल फन्ड	0.10
(21)	विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार	0.10
(22)	पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्याकंन	0.10
(23)	जिला स्तरीय बालक छात्रावास भवन निर्माण (राज्य का हिस्सा) (केन्द्र का हिस्सा)	 0.05 0.05
	योग –आयोजना	**19816.81**
	महायोग (आयोजनेत्तर+आयोजना)	**22342.81**

आयोजनेत्तर

2. अल्पससंख्यक कल्याण (आकड़े रू0 लाख में)

क्र	विवरण	वर्ष 2008–09	
	(अ) आयोजनेत्तर	बजट प्रावधान	किया गया व्यय (मार्च–09 तक)
1.	वक्फ कमिश्नर का कार्यालय (3870)	9.14	4.94
2.	मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी (640)	33.00	33.00
3.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (8244)	94.85	60.85
4.	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को सहायक अनुदान	60.00	54.00
5.	मसाजिद कमेटी भोपाल को सहायक अनुदान	66.00	59.40
6.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान	28.21	28.21
7.	चर्च एवं दरगाह को सहायक अनुदान	15.00	13.50
8.	वक्फ न्यायाधिकरण भोपाल	24.44	20.23
	योगः–	**330.64**	**274.13**
	(ब) आयोजना		
1.	म0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	40.00	4.00
2	प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति	164.15	162.50
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	189.72	185.19
4	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	222.00	120.79
5	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों का विकास	500.00	–
6	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	6.75	–
	योग :–	**1122.62**	472.48
	महायोगः–आयोजनेत्तर+आयोजना	**1453.26**	**746.61**

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

क. राज्य योजनाएं:

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :–

(1) राज्य छात्रवृत्तिः

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है. छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से एक किश्त में 31 अक्टूबर तक किया जाता है.छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:–

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रू0 20.00	रू0 30.00
9 एवं 10	रू0 30.00	रू0 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं.इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है.

विगत वित्तीय वर्ष 2007–2008 में राज्य छात्रवृत्ति अंतर्गत 20.78 लाख विद्यार्थियों पर रूपये 5740.00 लाख की राषि व्यय की गई है.एवं वर्ष 2008–09 में पिछड़े वर्ग के 23.23 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित करने के लिए रूपये 6673.26 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है ।

(2) पोस्ट –मैट्रिक छात्रवृत्तिः

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं,स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में (मेडीकल तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन की दरों पर पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.

छात्रवृत्ति की रकम में अनुरक्षण व्यय, फीस तथा अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध के मुद्रलेखन तथा मुद्रण पर होने वाले व्यय शामिल हैं , ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

अनुरक्षण भत्ता :–

अनु.	समूह	विवरण	अध्ययन का वर्ष	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर प्रति माह			
				छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
				छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	समूह "अ"	(1) मेडीकल तथा इंजीनियरी में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (भारत सरकार की योजना अंतर्गत)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष **एवं बाद के वर्ष**	425 425	425 425	190 190	190 190
		(2) भारतीय औषधि में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (यथाः आयुर्वेद बी.ए. एम.एस.,युनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष **एवं बाद के वर्ष**	210 210	220 225	100 100	110 115
		(3) बी.एस.सी. (कृषि,पशु चिकित्सा तथा मृत्स्य पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	185 185	195 200	100 100	110 115
		(4) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नही है) में पोस्ट ग्रेजुऐट डिग्री	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष **एवं बाद के वर्ष**	185 185	195 200	100 100	110 115
		(5) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित "विधि" विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रजुऐट स्तर के पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष **एवं बाद के वर्ष**	185 185	195 200	100 100	110 115

2.	समूह ''आ''	(1) मेडिकल तथा इंजीनियरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(2) भारतीय चिकित्सा (यथा आयुर्वेदिक,युनानी / तिब्बीया तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धती) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(3) प्रोद्योगिकी, आर्किटेक्चर तथा मुद्रण प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(4) ओवरसियर प्रारूपकार, सर्वेक्षक पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(5) वाणिज्यिक विमान चालक लायसेन्स पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(6) होटल प्रबंध,होटल प्रबंध प्रोद्योगिकी और व्यवहारिक पोषण में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(7) नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा / डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(8) वायरलेस तथा टेलीविजन आपरेटर, साउंड रिर्काडिंग तथा इंजीनियरिंग,चल–चित्र, फोटोग्राफी फिल्म निर्देशन, फिल्म सम्पादन, फिल्म अभिनय, पटकथा लेखन में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(9) व्यवसाय प्रबंध, चार्टर्ड एवं लागत / निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेज्युऐट कोर्स	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(10) विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120

3.	समूह ''इ''	(1) इंजीनियरी / प्रोद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मेडिसीन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 115
		(2) कृषि,फार्मेसी, पशु विज्ञान, मत्स्य, डेरी विकास, हाईजीन तथा लोक स्वास्थ्य, सेनिटरी इन्स्पेक्टर कोर्स, ग्रामीण सेवा के कोर्स,सहकारिता एवं सामुदायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय नागपुर में सब–आफिसर्स पाठ्यक्रम, नागपुर पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(3) शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, तथा विधि में डिग्री /पी. जी. डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(4) होटल प्रबंधन / केटरिंग टेक्नोलाजी तथा एप्लाईड न्यूट्रीशन तथा पेसेन्जर ट्रान्सपोर्ट प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(5) एसोसिएट डिग्री इन फार्मेसी	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
		(6) कला एवं वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	125 130	135 145	100 105	110 120
4.	समह ''ई''	(1) जनरल कोर्सेस अपटू ग्रेजुएट लेवल द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	115	130	70	85
5.	समूह ''उ''	(1) स्नातक स्तर के सामान्य पाठयक्रम का प्रथम वर्ष	–	100	110	55	70
		(2) कक्षा 12वीं	–	100	110	55	70
		(3) 10+2 पद्धति से कक्षा ग्यारहवीं		100	110	50	60

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 में 2.85 लाख विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्व 2.67 लाख विद्यार्थियों पर रूपये 13411.79 लाख की राषि व्यय की गई. वर्ष 2008–09 में 3.59 लाख पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभांवित करने के लिए 12401.44 लाख की राशि व्यय की गई है । इस योजना के तहत शासन के आदेष कमांक एफ 8–3/2007/54–1, दिनांक 19.12.2007 द्वारा पूर्व में निर्धारित वार्षिक आय सीमा रूपये 25,000 हजार से बढ़ाकर रूपये 75,000 हजार कर दी गई है.

(3) राज्य स्तरीय सेवाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्रः

पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रषासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए भोपाल में संचालित केन्द्र में परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है. प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 250/– प्रतिमाह की दर से षिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है. स्नातक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवीणता के आधार पर प्रवेष दिया जाता है. इस केन्द्र में 100 विद्यार्थियों के लिये प्रषिक्षण के साथ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है. वर्ष 2008–09 में रूपये 22.41 लाख का व्यय किया गया इस अवधि में 114 उम्मीदवारों को राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया गया.

(4) व्यवसायिक परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण :

चिकित्सा/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेष हेतु मध्यप्रदेष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पूर्व पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को जो 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत हों या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों को पी.ई.टी./पी.एम.टी का परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण, 4 संभागीय मुख्यालय में एम0पी0कॉन के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रारंभ करते हुए राशि रूपये 11.95 लाख का व्यय किया गया.

(5) बंजारा जाति के छात्रों को छात्रावास सुविधाः

बंजारा जाति के छात्रों के लिये खरगौन जिला मुख्यालय पर 50 सीटों का एक छात्रावास संचालित है,जिसमें छात्रों को रूपये 250/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये षिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में रूपये 6.68 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है.

(6) प्रावीण्य छात्रवृत्ति

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता एक बालक को रूपये 40 प्रतिमाह तथा एक बालिका को 50 रूपये प्रतिमाह की दर से एक षिक्षण सत्र में 10 माह के लिये प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है. इस योजना से प्रतिवर्ष 480 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित होते हैं. परन्तु इस वर्ष कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दिये जाने के कारण योजना को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है.

(7) छात्रगृह योजनाः

इस योजना अंतर्गत पिछड़े वर्ग जो विद्यार्थी पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिये पात्र हो उनके लिये 5 या उससे अधिक के समूह में किराये के भवन में रहने पर भवन किराया एवं बिजली,पानी आदि के अन्य प्रासंगिक व्यय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 12.11 लाख की राशि व्यय की गई है.

(8) विद्यार्थी कल्याण योजना :

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी तात्कालिक आवश्यकता,दुघर्टना अथवा प्राकृतिक आपदा के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने के उददे्श्य से यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 4.45 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है.

(9) बालक छात्रावास

प्रदेश के 8 संभागीय मुख्यालयों– भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, तथा मुरैना में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये एक–एक 100 सीट्र बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास निर्मित किये गये । मुरैना में छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 7 स्थानों पर भवन पूर्ण हो चुका है । इस योजना हेतु 50 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी है. वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 80.00 लाख राज्य शासन के हिस्से तथा रूपये 80.00 लाख भारत सरकार के हिस्से की इस प्रकार कुल राषि रूपये 160.00 लाख के विरूद्ध राज्य शासन के हिस्से की राषि में से रूपये 59.35 लाख व्यय की गई तथा भारत सरकार के हिस्से की राषि व्यय नहीं किया गया ।

(10) परिचय पत्र का प्रदायः

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का लेमिनेशन किया जाता है. वर्ष 2008–09 में इस हेतु राशि रूपये 12.42 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है.

(11) स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार :

स्वर्गीय रामजी महाजन के सम्मान में सामान्यतः उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष दिनांक 28 अगस्त को स्मृति दिवस के आयोजन के अवसर पर पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2008–09 में शासन के आदेष क्रमांक एफ–6/1/08/54–1, दिनांक 3.9.2008 के अनुसार 16 समाजसेवियों में 08 पुरुष 1. श्री राधेलाल जी पटेल, 2. श्री रामबाबू चौरसिया, 3. श्री मदनलाल मांझी, 4. श्री नागूलाल माली, 5. श्री एम.पी.सोनी, 6. श्री पानसिंह जी बघेल, 7. श्री गणेष एस.चौधरी, 8. श्री रामनारायण सिंह राणा, एवं 08 महिलाओं 1. श्रीमती डा0 छाया सैनी, 2. श्रीमती सीमा चौरसिया, 3. श्रीमती प्रेमलता राठौर, 4. श्रीमती कान्ती चौरसिया, 5. श्रीमती विद्या यादव, 6. श्रीमती भगवती हन्सोलिया, 7. श्री शान्ती पटेल, 8. श्रीमती शहनाज अंसारी, को रूपये एक–एक लाख के पुरूस्कार से दि0 24.2.2009 को सम्मानित किया गया है.

(12) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहनः

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है :

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
	योगः	**100000**	**50000**

वित्तीय वर्ष 2008–09 में रूपये 18.98 लाख राशि 69 विद्यार्थियों को प्रदाय की गई.

(13) मध्यप्रदेष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगः

राज्य षासन द्वारा दिनांक 13 मार्च,1993 को मध्यप्रदेष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था,इस आयोग का पुनर्गठन कर वैधानिक स्वरूप दिनांक 15 जनवरी,1996 को दिया गया है, इस आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :–

(क) पिछडे वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे.

(ख) पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं,सुधार हेतु सुझाव दे.

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दें.

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की षिकायतेां को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे.

(ड.) पिछडे वर्ग में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति समूह के प्रवर्ग सुनिष्चित करे.

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जाएं.

वर्ष 2008–09 में म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राशि रूपये 84.95 लाख की राशि व्यय की गयी.

माननीय अध्यक्ष म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं सदस्यों द्वासरा वर्ष 2008–09 में प्रदेष के समस्त जिलों में 36 भ्रमण किये गये तथा जिला स्तर पर राज्य शासन की पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की पहल की गई । आलोच्य वर्ष में आयोग की कुल 04 बैठके संपन्न हुई जिनमें 22 जातियों/वर्ग/समूहों के प्रकरणों पर सुनवाई की गई । वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोग के समक्ष पिछड़े वर्ग की 97 षिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 28 षिकायतों का निराकरण किया गया ।

दिनांक 17.2.2009 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क प्रदेष प्रवास पर राज्य की 21 जातियों/वर्ग/समूहों को केन्द्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े जाने हेतु भोपाल में जनसुनवाई की गई ।

(14) मध्यप्रदेष पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमः

दिनांक 29/09/94 को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कम्पनी एक्ट,1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई है, इस निगम के माध्यम से प्रदेष के पिछड़े वर्गों को उनके आर्थिक,सामाजिक एवं षैक्षणिक उत्थान एवं स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता हैः–

1. **कृषि संबंधी क्षेत्र**
2. **दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय**
3. **तकनीकी कारोबार**
4. **छोटे व्यवसाय**
5. **परिवहन क्षेत्र**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त राषि में राज्य शासन का 10 प्रतिषत अंष सम्मिलित कर राषि जिलों को उपलब्ध कराई जाती है. निगम द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 11 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 13 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया.

(15) जिला स्तरीय कन्या छात्रावास (भवन निर्माण)

पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के लिए प्रत्येक जिले में एक–एक 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्थापना किये जाने की योजना में वित्तीय वर्ष 2008–09 में कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये रूपये 580.00 लाख का प्रावधान रखा गया है. इसमें 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में रूपये 290.00 लाख के विरूद्ध भारत सरकार से प्राप्त राशि रूपये 228.31 लाख तथा राज्य शासन के हिस्से की राशि रू. 290.00 लाख की राशि के विरूद्ध रूपये 270.50 लाख व्यय किया गया. वर्तमान में 32 कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 16 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

(16) जिला स्तरीय कन्या छात्रावास (स्थापना व्यय)

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (15) में उल्लेख्ति कन्या छात्रावासों के अमले पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये भी वर्ष 2008–09 में रूपये 341.09 लाख की राषि का व्यय किया गया हैं.

1. अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत कार्यरत संस्थाएॅ :–

[1] म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
[2] म.प्र. वक्फ बोर्ड
[3] वक्फ सर्वे आयुक्त
[4] म.प्र. उर्दू अकादमी.
[5] मसाजिद कमेटी भोपाल.
[6] म.प्र. राज्य हज कमेटी.
[7] म.प्र. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण.
[8] म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

2. विभागीय दायित्व –

1. वक्फ और उससे संबंधित विषय.
2. अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम.
3. अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित विषय.
4. मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी से संबंधित विषय.
5. राज्य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद समिति से संबंधित विषय.
6. अल्पसंख्यकों से संबंधित शेष समस्त विषय.

3. अल्पसंख्यकों के लिए संचालित विभाग की योजनाएॅ/कार्यक्रम

(1) म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोगः

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996, दिनांक 23–10–96 से प्रभावशील हो गया है इस अधिनियम के अन्तर्गत नये आयोग का गठन उसी दिनांक से हो गया है आयोग का मुख्यालय भोपाल है, अधिनियम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :–

[1] अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में, राज्य में विधियों में उपबंधित किये गये विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यक्रमों की निगरानी तथा समीक्षा करना.

[2] राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना.

[3] सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिश करना.

[4] अल्पसंख्यकों के अधिकारों ओर सुरक्षा उपायों से वंचित किये जाने संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसी शिकायतों को समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचाना.

[5] अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव और उनके सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक विकास के मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण का संचालन करना और किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में राज्य सरकार को समुचित उपायों के विषय में सुझाव देना.

[6] अल्पसंख्यकों के बारे में किसी भी मामले पर सरकार को नियत कालिक या विशेष रिपोर्ट देना.

[7] आयोग के कार्यकलाप /गतिविधियॉ निम्नानुसार है :–

1. अल्पसंख्यक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण अंतर्गत 1 अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2008 तक आयोग अधिनियम 1996 के तहत 700 शिकायतें पंजीबद्ध कर जॉच करने के उपरान्त उनका निराकरण किया गया है.

2. अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक विकास के उददेश्य से आयोग द्वारा महिला कोर ग्रुप का गठन किया गया है , जिसमें प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक विकास क्षेत्र में सक्रिय एक महिला को नामजद किया जाता है, जो अल्पसंख्यक महिला विकास के लिये आयोग को परामर्श देती हैं.

3. माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य षासन द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन शासन के आदेष क्रमांक एफ–6–4/2008/54–2, दिनांक 4 अप्रैल–2008 को किया गया जा चुका है.

म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 2008–09 में रू. 88.12 लाख का प्रावधान उपलबध कराया गया. आयोग द्वारा मार्च 2009 तक राशि रूपये 60.85 की राशि व्यय की गई.

(2) म.प्र. वक्फ बोर्ड :

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है. वक्फ एक्ट 1995 जनवरी, 1996 से लागू हो चुका है. इस एक्ट के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिसूचना क्र0 एफ–2–9/2008/54–2,दिनांक 31 जुलाई 2008 के द्वारा 13 सदस्यी वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है.

वक्फियाँ जायजादों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाकर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत नाजायज कब्जा धारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है. वर्तमान में ऐसे 1321 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 490 प्रकरणों में बेदखली के आदेश पारित किए जाकर 123 कब्जाधारियो पर धारा 55 के तहत कार्यवाही हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखा गया. 74 अतिक्रमण हटाए गये है.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण का कार्य करने का आदेश दिया है.

शासन द्वारा वक्फ बोर्ड को वार्षिक अनुदान दिया जाता है. वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 54.00 लाख का अनुदान वक्फ बोर्ड को दिया गया है. म.प्र.वक्फ बोर्ड भोपाल को वर्ष 2007–08 में राषि रूपये 35,44,525/– तथा वर्ष 2008–09 में राषि रूपये 44,89,782/–आय के रूप में प्राप्त हुई है ।

(3) सर्वे वक्फ आयुक्तः

सर्वे वक्फ आयुक्त ,राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण,राज्य में स्थित वक्फों की संख्या वक्फों का स्वरूप,उनके उद्धेश्य,वक्फ में समाविष्ट संपत्तियों की सकल आय की रिपोर्ट का कार्य कर राज्य शासन को रिपोर्ट देता है । आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सर्वे वक्फ आयुक्त घोषित किया जा चुका है. राज्य शासन ने समस्त कलेक्टर्स को विभागीय अधिसूचना क्र0 एफ–6–25/2008/54– 2, दिनांक 04.10.2008 द्वारा सर्वे कार्य एक वर्ष में पूर्ण करने के आदेश जारी कर दिये है.

(4) म.प्र. उर्दू अकादमी :

इस अकादमी का मुख्य उद्देश्य उर्दू साहित्य के प्रचार–प्रसार का कार्य करना आलोचनात्मक उर्दू साहित्य का प्रकाशन–मुशायरा, परिचिर्चा व गोष्ठियों का आयोजन करना है. अकादमी द्वारा कार्यालय में उर्दू कक्षा लगाई जाकर तीन माह का उर्दू सिखाने का कार्य कराया जा रहा है. उर्दू के शायरों को माली इमदाद दी जाती है.राज्य शासन द्वारा अकादमी को वार्षिक अनुदान दिया जाता है. वर्ष 2008–2009 में अकादमी को वार्षिक अनुदान रूपये 33.00 लाख दिया गया है.

उर्दू अकादमी द्वारा वर्ष 2008–09 में 07 **(1. श्री नईम कौसर, 2. श्री तारिक शाहीन, 3. श्री रषीद इमकान साहिब इमकानी, 4. श्री नजीब रामिष, 5. श्री श्री रषीद अंजुम, 6. श्री डा0 मोहम्मद नोमान खॉ, 7. श्री गोविन्द आर्य निषात,)** साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है.

(5) मसाजिद कमेटी :

भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों में स्थित मस्जिदों की देखरेख के लिये भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद कमेटी, भोपाल का गठन शासन के आदेष क्रमांक/एफ–4/1/04/54–2, दिनांक 20.2.2008 द्वारा किया गया है. राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008–09 में वार्षिक अनुदान रूपये 59.40 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया.

(6) मध्यप्रदेश हज कमेटी :

प्रतिवर्ष हज के लिये जाने वाले यात्रियों को भेजने एवं समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व इस कमेटी का है. हज यात्रियों का सामूहिक दुर्घटना बीमा म0प्र0 स्टेट हज कमेटी द्वारा किया जाता है. हजयात्रा के दौरान हजयात्री की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार द्वारा परिवार के नामजद व्यक्ति को रूपये 2.00 लाख भुगतान की व्यवस्था है. वर्ष 2008–09 में मध्यप्रदेश से 4332 व्यक्ति हज यात्रा पर गये. शासन द्वारा हज कमेटी को वार्षिक अनुदान दिया जाता है. वर्ष 2008–2009 में कमेटी को रूपये 28.21 लाख का अनुदान दिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2008–09 में हज पर जाने वाले हजयात्रियों को अब हज पर भेजने के लिए इन्दौर में एक एम्बार्केषन पॉइन्ट बनवाया गया है । अतः अब इन्दौर से हजयात्रा जाने की सुविधा प्रदान की गई.

(7) म.प्र. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण :

वक्फ सम्पत्तियों संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों को त्वरितगति से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. वक्फ न्यायाधिकरण में एक पीठासीन जो जिला जज स्तर के हैं अधिकारी पदस्थ है. न्यायाधिकरण में मार्च 2009 तक प्राप्त 2984 प्रकरणों में से 2820 का निराकरण किया जा चुका है तथा 164 प्रकरण लंबित है. वर्ष 2008–09 में म0प्र0 राज्य वक्फ न्यायाधिकारण द्वारा राशि रूपये 20.23 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है.

(8) जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति का पुनर्गठनः–

जिलों में कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला अल्पसंख्यक कल्याण समितियों का पुनर्गठन किया गया है. वर्तमान में जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया गया है। प्रत्येक समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के 15 प्रतिनिधि हैं. ये समितियां अल्पसंख्यकों के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण करती है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव देती हैं.

(9) प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रमः–

अल्पसंख्यक वर्ग के हित में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कमेटी गठित है जो अपनी बैठक में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करती है.

पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित अभिनव योजनाएँ :–

1 विदेश अध्ययन छात्रवृत्तिः

पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चो को विदेश में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की नवीन योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है. इस योजना का लाभ क्रीमीलेयर की सीमा में नहीं आने वाले परिवारों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा. योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा. वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट मे इस हेतु रूपये 75.00 लाख का प्रावधान रखा गया था. वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रदेश के 04 अभ्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतू चयनित किया गया राशि 27.61 लाख की स्वीकृत्ति कर प्रदाय की जा चुकी है.

2. रोजगार गारण्टी प्रषिक्षण योजनाः

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2007–08 से रोजगार गारण्टी प्रशिक्षण की नवीन योजना प्रारम्भ की गई है. इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के युवाओं को मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल, इण्डो जर्मन टूल रूम इन्दौर समकक्ष अन्य संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेड्स का प्रशिक्षण दिया जावेगा. प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को आवास एवं भोजन की मुफत सुविधा के साथ रूपये 350/–प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जावेगी. वित्तीय वर्ष 2008–09 में रूपये 25.66 लाख का व्यय किया गया है. तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में 392 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया.

3. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजनाः

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरीपालन, परिवहन क्षेत्र में आटो रिक्शा, टेक्शी, बस, छोटे व्यवसाय, जैसे दुकान, फर्नीचर निर्माण, रेडीमेड गारमेन्ट, बेकरी इत्यादि तकनीकि व्यवसाय में कम्प्यूटर इण्टरनेट फोटोकापी तथा पिछड़े वर्ग के परम्परागत व्यवसाय एवं तकनीकी कौशल आधारित पूजीगत अनुदान तथा ब्याज अनुदान बैंको के माध्यम से संचालित करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना'' की नवीन योजना वर्ष 2008–09 से विभाग के आदेष क्रमांक एफ–9–4/2008/54–1, दिनांक 19 सितम्बर 2008 द्वारा लागू की गई है.

अल्पसंख्यकों के लिए संचालित अभिनव योजनाएँः–

(अ) भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(1) मेरिट कम मीन्स योजनाः

भारत सरकार द्वारा योजना के प्रथम वर्ष 2007–08 में इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिकी पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उददेश्य से मेरिट कम मीन्स योजना प्रारभं की जा रही है. इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के 462 ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तॉक 50 प्रतिशत से अधिक है तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा. अल्पसंख्यक वर्ग में समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है. योजनान्तर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को 1000 रूपये एवं गैरछात्रावासी विद्यार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक एवं पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्वविक शुल्क अथवा रूपये 20000/– जो भी कम हो, दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2008–09 में 490 विद्यार्थियों को राशि रूपये 120.79 लाख की राशि स्वीकृत की गई.

(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की जा रही है. इस योजनान्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम,ईसाई, सिख,बौद्ध,एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारंभ की जा रही है. प्रथम वर्ष 2007–08 में म0प्र0 के अल्पसंख्यक वर्ग के 1732 ऐसे विद्यार्थियों का जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक है तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा. योजना में अल्पसंख्यक वर्ग का समुदायवार कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है. योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं 12वीं को रूपये 7,000/–प्रतिवर्ष एवं कक्षा 11वीं, 12वीं के स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु रूपये 10,000/–प्रतिवर्ष तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों हेतु रूपये 3,000/–प्रतिवर्ष प्रवेश एवं ट्यूशन फीस दिए जाने का प्रावधान है । साथ ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 235/–प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 140/–प्रतिमाह एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 355/–प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 185/–प्रतिमाह तथा एम0फील एवं पी0एच0डी0 के छात्रावासी विद्यार्थियों को 510/–प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रूपये 330 प्रतिमाह देने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2008–09 में 4319 विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हुए रूपये 185.19 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है.

(3) अल्पसंख्यक बहुल भोपाल जिले का विकासः–

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश में ऐसे जिलो का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत या अधिक अथवा 5 लाख से अधिक हो. इस आधार पर मध्यप्रदेश में भोपाल जिले का चयन अल्पसंख्यक बहुल जिले के रूप में किया गया है । भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित भोपाल जिले में उपलब्ध अधोसंरचना का अध्ययन कराकर विकास योजना हेतु आवश्यक राशि (अनुमानित रूपये 3.00 से 5 करोड़) प्रदान की जावेगी । वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस हेतु रूपये 5.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था किन्तु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने से राशि का व्यय नहीं किया जा सका.

(4) सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ :–

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक की विभिन्न योजनाओं का संचालन प्रस्तावित है. इन सभी योजनाओं में से प्रत्येक योजना की स्थापना मद में 2 से 3 प्रतिशत अंश प्रशासनिक व्यय की रूप में प्राप्त होगा. राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी योजनाओं के लिए सम्मिलित रूप से एक प्रकोष्ट गठन किया जायेगा. इसका उददेश्य विभिन्न योजनाओं का संचालन, प्रबन्धन और अनुश्रवण किया जाएगा.

ब–भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनाः–

(1) प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति :

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति वरिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख से अधिक न हो. केन्द्र प्रवर्तित अन्तर्गत प्रस्तावित इस योजना में कुल प्रावधान की 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी. वित्तीय वर्ष 2008–09 में 13719 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु रूपये 164.15 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 13976 विद्यार्थियों को राशि रूपये 162.50 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है.

योजनाओं की
वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां

(ग) प्रमुख योजनाओं की योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

(1) राज्य योजना (रूपये लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2006–2007		वर्ष 2007–2008		वर्ष 2008–09		माह मार्च 2009 तक	
		वित्तीय उपलब्धियॉ	भौतिक उपलब्धियॉ	वित्तीय उपलब्धियॉ	भौतिक उपलब्धियॉ	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	किया गया व्यय	अर्जित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राज्य छात्रवृत्ति	5512.10	19.45 लाख विद्यार्थी	5740.00	20.78	6773.85	20.85	6773.85	23.23
2.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3474.05	2.65 लाख विद्यार्थी	13018.20	2.67 लाख विद्यार्थी	11199.50	2.95	11953.10	3.59
3	निर्देषन और प्रषासन	73.39	51 पदसंधारित	139.68	51 पद संधारित	142.71	51 पद संधारित	90.67	51 पद संधारित
4	जिला तथा परियोजना प्रषासन	160.02	180 पद संधारित	173.23	180 पद संधारित	257.43	180 पद संधारित	223.16	180 पद संधारित
5	आश्रम / छात्रावास	4.85	1 / 50 विद्यार्थी	5.63	1 / 50 विद्यार्थी	164.91	1 / 50 विद्यार्थी	62.24	8 / 750 विद्यार्थी
6	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र भोपाल	16.41	81 प्रषिक्षणार्थी 9 पद	18.73	89 प्रषिक्षणार्थी 9 पद	29.19	100 विद्यार्थी 9 पद	22.41	100 विद्यार्थी 9 पद
7	पी.एम.टी. / पी.ई.टी. / पी.ए.टी. हेतु सेल्फ स्कोरर एवं व्याख्याताओं हेतु मानदेय	0.52	120 विद्यार्थी	0.36	83 विद्यार्थी	2.20	220 विद्यार्थी	11.95	300 विद्यार्थी
8	मध्यप्रदेष पिछड़ा वर्ग आयोग	46.99	40 पद संधारित	71.56	40 पद संधारित	119.37	40 पद संधारित	84.95	40 पद संधारित
9	मध्यप्रदेष पि. व. वित्त एवं विकास निगम	0.00	146 पि. व. 94 अल्पसंख्यक	9.45	32 पि.व. 05 अल्पसंख्यक	50.00	0.00	50.00 अंशपूंजी	11 पि.व. 13 अ.स.
10	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	1.92	480 विद्यार्थी	2.05	480 विद्यार्थी	2.75	480 विद्यार्थी	1.90	422 विद्यार्थी

11	सामूहिक विवाह प्रोत्साहन	2.10	350 विवाह	–	–	––	––	योजना समाप्त	––
12	अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रषिक्षण	0.26	17 अधि0 / कर्म0	निर्देशन में शामिल	–	क0 3 में शामिल	–	क0 3 में शामिल	––
13	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	3.00	8 पुरस्कार	2.90	8	18.00	16	17.70	16 समाजसेवी
14	छात्रगृह योजना	11.10	6 छात्रगृह	11.30	06 छात्रगृह	68.80	6	12.11	700 विद्यार्थी
15	परिचय पत्रों का लेमिनेषन	23.09	क01 व 2 में शामिल	13.08	क01 व 2 में शामिल	17.50	क0 1 व 2 में शामिल	12.42	क0 1 व 2 में शामिल
16	छात्रावास भवनों का निर्माण (संभागीय)	131.96	4 भवन पूर्ण 4 प्रगति पर	60.00	7 भवन पूर्ण 1 प्रगति पर	80.00	7 भवन पूर्ण 1 प्रगति पर	59.35	7 भवन पूर्ण 1 प्रगति पर
17	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	1.88	14 कम्प्यूटर्स कर संधारण एवं उन्नयन	4.46	20 कम्प्यूटर संधारण	6.00	20 कम्प्यूटर का संधारण	5.00	28 कम्प्यूटर का संधारण
18	विद्यार्थी कल्याण योजना	1.62	271 विद्यार्थी	0.85	142 विद्यार्थी	5.86	400 विद्यार्थी	4.45	93
19	संध एवं राज्य लोक सेवा आयोग	34.10	210 विद्यार्थी	61.15	250	80.00	अनिर्धारित	18.98	69 अभ्यार्थी
20	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवन निर्माण	360.00	29 भवन प्रगति पर	360.00	36 भवन निर्माण प्रगति पर	290.00	48 भवन	270.50	36 भवनों का निर्माण अंतिम चरण में 12 भवन प्रगति पर
21	जिला स्तरीय कन्या छात्रावासों का संचालन	144.34	23 छात्रावास किराये के भवनों में संचालित	155.56	29 छात्रावास किराये के भवन में संचालित	721.94	48 / 240	341.09	29 भवन किराये के भवन पर संचालित
22	दिल्ली में छात्रगृह	0.00	स0क016 में शामिल	0.00	स0क0 16 में शामिल	0.00	स0क016 में शामिल	––	स0क016 में शामिल
23	विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	–	–	75.00	स्वीकृति अपेक्षित	75.00	5 विद्यार्थी	27.61	03 छात्र

24	रोजगार गारण्टी योजना	—	—	200.00	कार्यवाही प्रचलित	200.00	500 प्रशिक्षणार्थी	200.00	392 प्रशिक्षणार्थी
25	म0प्र0पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को ब्याज अनुदान (मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना)	—	—	—	—	667.00	—	—	—
26	प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति	—	—	—	—	0.10	—	—	—
27	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	—	—	—	—	0.10	—	—	—
28	छात्रवृत्ति फार्मो का मुद्रण	—	—	—	—	0.10	—	—	—
29	बालक छात्रावासों की स्थापना	—	—	—	—	0.10	—	—	—
30	पूल फन्ड	—	—	—	—	0.10	—	—	—
31	विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार	—	—	—	—	0.10	—	—	—
32	पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्याकंन	—	—	—	—	0.10	—	—	—

33	जिला स्तरीय बालक छात्रावास भवन निर्माण (राज्य का हिस्सा)	–	–	–	–	0.05	–	–	–
	योग :–	**10004.00**	–	**20081.32**	–	**20972.76**	–	**20243.74**	–

(2) केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

1.	राज्य छात्रवृत्ति	–	–	64.00	भारत सरकार को वापिस की गई	–	–	–	–
2.	पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00		393.59	2.67	1000.00	3.50	805.34	राज्य की योजना के प्रपत्र में बिन्दु क्र 2 में शामिल
3	छात्रावास भवनों का निर्माण(संभाग स्तरीय)	0.00	बिन्दु क्र0 1 के 16 में शामिल	39.55	8	80.00	8	0.00	बिन्दु क 1 के क्र 16 में शामिल
4.	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण	350.00	बिन्दु क्र0 1 के 20 में शामिल	329.49	16	290.00	48	228.31	बिन्दु क 1 के क्र 20 शामिल
5	जिला स्तरीय बालक छात्रावास भवन निर्माण (केन्द्र का हिस्सा)	–	–	–	–	0.05	–	–	–
	योगः–	**350.00**	–	**826.64**	–	**1370.05**	–	**1033.65**	–
	महायोगः–(राज्य+केन्द्र)	**10354.00**		**20907.962**	–	**22342.81**	–	**21277.39**	–

भाग—चार
सामान्य प्रशासनिक विषय

महामहिम राज्यपाल का बजट अभिभाषण वर्ष 2008

महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण वर्ष 2008 में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई बिन्दु कार्यवाही किए जाने हेतु शेष नहीं है ।

विभागीय पदोन्नतियां:

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत जो पद स्वीकृत है उनमें सहायक वर्ग 3, वाहन चालक, एवं भृत्य को छोड़कर अन्य सभी उच्च संवर्ग पर नियत्रंण आदिम जाति, अनुसूचित जाति कलयाण विभाग का होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही उनके द्वारा ही की जाती है ।

विभागीय जांचः

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत कोई विभागीय जांच का प्रकरण लंबित नहीं है.

नियुक्तियां:

राज्य षासन द्वारा नियुक्तियों पर रोक के प्रभावषील प्रतिबंध एवं विभाग अंतर्गत पद रिक्त न होने के फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग अंतर्गत कोई नियुक्तियां नहीं की गई है.

स्थानांतरणः

पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी स्थानांतरित नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग अंतर्गत पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी (सहायक ग्रेड—3 व अन्य निम्न पद को छोड़कर)आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा पदस्थ किए जाते हैं.

विधानसभा संबंधी कार्य

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त सभी विधानसभा प्रष्नों, ध्यानाकर्षण एवं अन्य सूचनाओं के उत्तर विधानसभा को समयावधि में प्रस्तुत किये गये.

संयुक्त परामर्षदात्री समिति की बैठक

प्रतिवेदन अवधि में गठित विभागीय संयुक्त परामर्षदात्री समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2008 को मंत्रालय में सम्पन्न हुई.

न्यायालयीन कार्य :—

विभाग के अधीन कोई अमला स्वीकृत नहीं है. अतः कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या निरंक है. वक्फ सम्पत्तियों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. माह मार्च 2009 तक न्यायाधिकरण में 2984 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 2820 का निराकरण किया जा चुका है तथा 164 प्रकरण लंबित है.

भाग–पांच

प्रकाषन

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी एवं उपलब्धियों पर 'नई रोशनी' नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है.

भाग–छः

राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति वर्ष 2003–2007 के बिन्दु क्रमांक 227 के अनुसार :–

1. पिछड़े वर्ग की कक्षा 6 से 10 तक प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वी और उससे आगे महाविद्यालयीन/तकनीकी कक्षाओं में उच्च शिक्षा हेतु पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति छात्राओं को भी प्रदान की जा रही है. राज्य की महिला नीति के अन्तर्गत विभाग की राज्य एवं पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत लाभन्वित विद्यार्थियों में लगभग 35 प्रतिशत छात्राऍ लाभन्वित होती है.
2. पिछड़े वर्ग के लिये प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना में 50 प्रतिशत महिलाऍ लाभांवित होती है.
3. विभागीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द, भोपाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिये प्रशिणार्थियों के प्रवेश हेतु केन्द्र में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है.
4. प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर कन्याओं के लिये छात्रावास की स्थापना करने की योजना के तहत वर्ष 2005–06 से प्रदेश के सभी जिलो में एक–एक 50 सीटर कन्या छात्रावास खोले गये.
5. विभाग की ''श्री रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार' में प्रतिवर्ष 8 पुरूष एवं 8 महिलाओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है.
6. प्रदेश में मुस्लिम महिला (प्रोटेक्शन आफ राइट्स आन डायवोर्स) एक्ट, 1986 प्रभावशील है. सभी जिला कलेक्टरों/कमिश्नरों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि इस योजना के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को सहायता दिलाई जाये.